न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 4140–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–10–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 22/अपील/2013–14.

....

राजूखॉ पिता सत्तारउल्ला खॉ
निवासी आगर हाल निवास शाजापुर म0प्र0

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–सत्तार उल्ला पिता किफायत उल्ला (मृत वारिसानः–)
निवासी पटेलवाडी आगर तहसील व जिला आगर म0प्र0
1–शबाना
2–मुनुउल्ला
3–शबनम
4–नूरजहॉ
निवासी पटेलवाडी आगर तहसील व जिला आगर म0प्र0
2–रईसउल्ला पिता किफायत उल्ला
3–कलीम उल्ला पिता अजमद उल्ला
4–परवीन बानों विधवा अजमद उल्ला
5–असीम उल्ला पिता अजमद उल्ला
सर्व निवासी पटेलवाडी आगर
जिला आगर मालवा म0प्र0

.... प्रत्यर्थीगण

....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/9/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है और आवेदक की ओर से संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत ही यह तृतीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । इसलिये इस प्रकरण का निराकरण अपील को निगरानी में परिवर्तित कर किया जा रहा है । अतः आगे अपीलार्थी को आवेदक एवं प्रत्यर्थीगण को अनावेदकगण कहा जायेगा ।

3/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत कस्बा आगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1630/10 मिन रकबा 0.370, सर्वे नम्बर 1783/1 रकबा 0.052 एवं सर्वे नम्बर 1787 रकबा 0.105 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.427 पर हिबानामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31–3–13 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–10–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा हिबानामा को सिद्ध किया गया था परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा हिबानामा से परे जाकर आदेश पारित किया गया

था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) साक्ष्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप जिस व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें विपक्षी पक्षकार को कूटपरीक्षण का अवसर दिया जाना चाहिये, परन्तु आवेदक को कोई कूट परीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि हिबानामा का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है और जो हिबानामा आवेदक के हक में निष्पादित किया गया है उक्त हिबानामा को उसके साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वर्ष 1984 में निष्पादित हिबानामा के आधार पर 25 वर्ष पश्चात् नामान्तरण की मॉग की गई है जो कि स्पष्टतः अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त हिबानामा निष्पादन के समय आवेदक नाबालिग था और वह हिबानामा स्वीकार करने के योग्य नहीं था । इससे यह भी स्पष्ट है कि हिबानामा की आवश्यक शर्तो की पूर्ति नहीं हुई है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई थी इसलिये अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर